प्रतिवेदन

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत **सिलंगी से सैंज** तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.350 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा मक डिस्पोजल हेतु 0.050 हे0 कुल भूमि 0.400 हे0 आरक्षित वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिला योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली मे विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिलंगी से सेंज मोटर मार्ग की स्वीकृत जिलाधिकारी चमोली के पत्रांक स0 1145 / जि0यो0–3 / 2011–12 दिनांक 06.09.2011 द्वारा 1.00 कि0मी0 लम्बाई हेतु लागत रू0 12.60 लाख की प्राप्त हुई हैं।

प्रस्तावित मोटर मार्ग सोनला–कण्डारा मैखुरा मोटर मार्ग मोटर मार्ग के कि0मी0 18 से प्रारम्भ हो कर ग्राम सेंज की सीमा तक जाता है।। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम–सेंज प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे तथा ग्रामीण एवं पिछडे क्षेत्र यातायात से जुड जायेगे। इनका समग्र विकास होगा तथा साथ ही ग्रामीणों का तहसील मुख्यालय कर्णप्रयाग से सीधा सम्पर्क हो सकेगा। तथा अपनी नगदी फसलों को बाजार तक लाने में सुविधा होगी तथा उचित दाम पर बेच सकेगें, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

मार्ग का संरेखण इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि मार्ग निर्माण न्यूनतम आरक्षित / वन पंचायत भूमि से गुजरे एवं कम से कम वृक्षों का पातन हो। मार्ग में पडने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैं।

1–नाप भूमि 0.500 कि0मी0 x 7मी0	=	0.350 हे0
2– आरक्षित वन भूमि 0.500 कि0मी0 x 7 मी0	=	0.350 हे0
3–मक डिस्पोजल हेतु	=	0.050 हे0
योग	=	0.750 हे0 ।

अतः मार्ग निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि 0.350 हे0 एवं मक डिस्पोजल 0.050 हे0 कुल भूमि 0.400 हे0 का प्रस्ताव गठित कर लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण करने हेतु प्रेषित किया गया हैं।

H.D Singh
अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
गौचर